



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 830-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/24-14-का0वि0नी0/87(टी0सी0) दिनांक 01 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिषद सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सेवकों की प्रोन्नति के लिए सम्पादित होने वाली चयन प्रक्रिया में उन्हें अवक्रमित करने, बन्द लिफाफे की कार्यवाही का प्रयोग करने सम्बन्धी प्रक्रिया के निर्धारण विषयक परिषदादेश सं0 1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87 दिनांक 08.10.1997 (शासनादेश सं0 13/21/89-क-1/1977 दिनांक 28.05.1997 में निहित प्राविधानानुसार) कारपोरेशन के कार्मिकों के सम्बन्ध में अद्यतन प्रभावी है। उक्त परिषदादेश दिनांक 08.10.1997 में "मुहरबन्द लिफाफे से सम्बन्धित मामले हेतु स्थान सुरक्षित रखे जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया" के प्रस्तर-4 व 5 में उल्लिखित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल मण्डल की दिनांक 26.06.2024 को सम्पन्न 203(15)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नवत व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :-

“ निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुहरबन्द लिफाफे के सापेक्ष पद आरक्षित करने अथवा न करने व उनके सापेक्ष प्रोन्नति करने व न करने के लिए निर्णय लेने हेतु चयन समिति को अधिकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। ”

2. उपरोक्त व्यवस्था निदेशक मण्डल द्वारा पारित निर्णय की तिथि (दिनांक 26.06.2024) से प्रभावी मानी जायेगी। उक्त आदेश के फलस्वरूप परिषदादेश सं0 1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87 दिनांक 08.10.1997 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्या : 830(1)-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम)/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0का0लि0, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
17. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 26.06.2024 को सम्पन्न 203(15)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
19. उप सचिव (अ0प्र0-02अ), उ0प्र0 पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित टिप्पणी तथा निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की मूल प्रतियां का0वि0नी0 अनुभाग की संगत पत्रावली में संरक्षित किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।
20. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
(मु0 जावेद मंसूरी)

संयुक्त सचिव (का0वि0नी0)